

BEFORE DR. GITA RAWAT, JOINT SECRETARY & FIRST  
APPELLATE AUTHORITY  
(Under Section 19 of RTI Act, 2005)  
MINISTRY OF LAW & JUSTICE: DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS  
ROOM NO. 40B-B, 'A' WING, SHASTRI BHAWAN, NEW DELHI 110001  
\*\*\*\*\*

Appeal No.21(301)/2014 -IC

Date:9.7.2014.

In the matter of

Shri Girish Prasad Gupta,  
Village Shokhara-02,  
Rajendra Path, Barauni,  
P.O. Barauni,  
Distt. Begusarai

Appellant

Versus

Central Public Information Officer  
Ministry of Law & Justice  
Department of Legal Affairs  
Shastri Bhawan  
NEW DELHI – 110001  
Respondent

Date: 9.7.2014

ORDER

The appellant has filed an appeal on 28.6.2014 received on 1.7.2014 under Section 19 of the RTI Act against the information furnished by the CPIO, the respondent vide letter NO. 21(301)/2014 dated 9.6.2014

**Brief facts of the case:**

1. The appellant vide his application dated 13.5.2014 received on 19.5.2014 sought information relating to Bihar Government.
2. The respondent has collected the information from the concerned sections of this Ministry and sent the reply to the appellant vide letter No. 21(301)/2014-IC. Dated 9.6.2014.
3. Being aggrieved with the information of the respondent the appellant has filed an appeal received on 9.6.2014.
4. I undersigned have been appointed as Appellate Authority in the matter on. After perusal of the facts of the case it appears that no hearing is required in this matter.

4. I undersigned have been appointed as Appellate Authority in the matter on. After perusal of the facts of the case it appears that no hearing is required in this matter.

Observation

5. On perusal of the record it appears that the information furnished by the respondent vide letter dated 9.6.2014 is the substantive response for the information asked by the applicant in his original application dated 13.5.2014.
6. I have assessed the facts and circumstances of the case and come to the conclusion that the CPIO, the respondent has acted as per provisions of the Act. The appellant is requested to contact the competent authority where his application has been transferred. In view of keeping the principles of natural justice the appeal is rejected.
7. The appellant may kindly note that since the proceeding has been closed, no further hearing may be conducted in this matter. Moreover, if there is any grievance against the order of the Appellate Authority, he may file second appeal before the Hon'ble CIC sitting at 2<sup>nd</sup> Floor, August Kranti Bhawan, Bhikaji Cama Place, New Delhi 110066 (within 90 days) i.e period as prescribed under the provision of RTI Act, 2005.

  
(DR. GITA RAWAT)

Joint Secretary & Appellate Authority

Date: 09.07.2014

(DR. GITA RAWAT)

Joint Secretary & Appellate Authority

First Floor, August Kranti Bhawan,

Ministry of Information & Public Relations,

(Department of Information & Public Relations)

New Delhi - 110066

Copy to:

1. Shri Girish Prasad Gupta, Village Shokhara-02, Rajendra Path, Barauni, P.O. Barauni, Distt. Begusarai
2. Smt. Asha Sota, CPIO/Under Secretary, Deptt. of Legal Affairs.

21(301)/2014

निबंधित  
स्पीड पोस्ट  
कूरियर सेवा

### सूचना का अधिकार प्रथम अपील का आवेदन

प्रपत्र 'छ' नियम-6 (i) देखें  
आर्दन सी० सं०  
कार्यालय व्यवहार के लिए

RTI ACT-2005  
BODDLE POST CENTRE  
BARAUNI-851110

दिनांक

सेवा में श्री जी. रावत, संयुक्त सचिव एवं विधि सहायक,  
प्रथम अपील अधिकारी,  
(विभाग का नाम) विधि एवं ज्वाय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग  
(विभाग का पता) शांति भवन, नई दिल्ली - 110001

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के तहत प्रथम अपील  
महोदय

1. तथ्य :- मैंने सूचना का अधिकार कानून, 2005 के तहत आपके विभाग के लोक सूचना अधिकारी से निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराने के लिए दिनांक 13-05-14 को आवेदन किया है :-  
372114

2. प्रथम अपील का आधार :  
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में सूचना देने के लिए निर्धारित समयावधि समाप्त हो जाने के बावजूद लोक सूचना अधिकारी द्वारा मुझे अब तक किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई है। दिनांक 11-06-14 को 30 दिनों का समय सीमा समाप्त हो गई।

3. मुझे जो जवाब प्राप्त हुआ है, वह अधूरा है/ गलत है/ मेरे आवेदन से संबंधित नहीं है।  
मुझे जवाब प्राप्त हुआ है, वह अधूरा है/ गलत है/ मेरे आवेदन से संबंधित नहीं है।  
मुझे जवाब प्राप्त हुआ है, वह अधूरा है/ गलत है/ मेरे आवेदन से संबंधित नहीं है।

4. धार्थना/ राहत जिसका अनुरोध किया गया।  
अतः आपसे निवेदन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के तहत इस विषय पर सुनवाई करें और लोक सूचना अधिकारी को मुझे सूचना प्रदान करने का आदेश दें। सूचना का अधिकार कानून के प्रावधानों के अनुसार लोक सूचना अधिकारी को मेरे द्वारा मांगी गई सारी सूचना नि:शुल्क उपलब्ध कराने का भी आदेश दें। साथ ही सूचना का अधिकार अधिनियम के उल्लंघन के लिए लोक सूचना अधिकारी पर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करने का आदेश दें।

Recd  
7/7/14 from RSI

आवेदक का नाम एवं पता : धन्यवाद  
नाम : गिरीश प्रसाद गुप्ता  
पता : ग्राम-शोकहारा, राजेन्द्र पथ बरौनी,  
पो०-बरौनी-851112,  
जिला-बेगूसराय (बिहार)

पार्थी  
गिरीश प्रसाद गुप्ता  
28-6-14  
आवेदक का हस्ताक्षर

दिनांक : 28-6-14 क्रमांक : 475/14

- संलग्नक :-
- 1. आवेदन की शुल्क के साथ छाया प्रति।
  - 2. लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिए गए जवाब की छाया प्रति।
  - 3. आवेदन शुल्क के रूप में 10 रुपये का भारतीय पोस्टल ऑर्डर / नेशनल डिपॉजिटरी स्टाम्प।

RTI Section

24F 897269 दि०-5-5-14 Blank है  
कृपया अपने सुविधाकार को सूचित करें।

सूचना के अधिकार का मामला

फा0 सं0 21 (301)2014.आई0सी0

भारत सरकार  
विधि और न्याय मंत्रालय  
विधि कार्य विभाग  
कार्यान्वयन कक्ष

शास्त्री भवन, नई दिल्ली  
दिनांक: 09.06.2014

सेवा में,

श्री गिरिश प्रसाद गुप्ता  
गा0 शोकहार-02  
राजेन्द्र पथ, बरौनी, पो0 बरौनी - 851112  
जिला बेगु सराय  
बिहार

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन सूचना उपलब्ध कराना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर दिनांक 13.05.2014 (दिनांक 19.05.2014 को प्राप्त) के संदर्भ में आपको यह भी सूचित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत अपनी याचिका में आपके द्वारा मांगी गई सूचना का संबंध विधि एवं न्याय विभाग से नहीं है। अतः आप एक बार फिर अपनी याचिका के संबंध में सूचना प्राप्त करने के लिए बिहार सरकार को अपनी याचिका भेज सकते हैं क्योंकि बिहार सूचना आयोग का संबंध बिहार सरकार से है। आपकी याचिका की एक प्रति को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन प्रशासनिक विभाग, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOPT) को उचित कार्रवाई हेतु अग्रेसित किया जा रहा है। आप सीधे ही सूचना उपरोक्त कार्यालय से प्राप्त करें।

3. डा0 गीता रावत, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार, विधि कार्य विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, कमरा सं0 408, 'ए' विंग, चौथा तल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001, दूरभाष सं0 23384777 प्रथम अपील प्राधिकारी हैं। प्रथम अपील दायर करने के लिए परिसीमा की अवधि 30 दिन है।

संलग्न: यथोक्त

87c

भवदीय,

(के गिनखन थंग)

उप-सचिव केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी  
दूरभाष 23384706

प्रतिलिपि : सी0पी0आई0ओ0, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOPT) नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली -110001 को इस अनुरोध के साथ कि प्रार्थी को सीधे ही सूचना भेजे एवं एक प्रति सूचनार्थ विभाग को भी भेजे। प्रार्थी की शिकायत राज्य सूचना आयोग के विरुद्ध है। उनकी याचिका को बिहार सरकार को भेजा गया था जिसे वापिस कर दिया वहाँ से प्राप्त पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है।

9  
Issued  
13.6.2014

- 1. निम्नलिखित
- 2. रफा पोस्ट
- 3. प्रारिपर सेवा

सूचना का अधिकार अधिनियम - 2005  
 बिहार सूचना का अधिकार नियमावली - 2006

प्रपत्र 'क'  
 (नियम 3 (1) देखें)  
 सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रपत्र

आई0डी0सं0 ..... दिनांक ..... कार्यालय प्रयोग के लिए।  
 सेवा में, श्री गिरी प्रसाद यादव  
 लोक सूचना पदाधिकारी-सह-उप-सचिव  
 (विभाग/कार्यालय) विधि संव न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग  
 आवेदक का नाम: गिरी प्रसाद यादव  
 पूरा पता: ग्राम: शोकहारा-02, राजेन्द्र पथ बरौनी, पो0- बरौनी-851112 जिला-बेगूसराय (बिहार)  
 मॉगी गई सूचना का ब्यौरा (संक्षेप में)

कृपया बिहार सरकार, मंत्रि मंडल सचिवालय  
 विभाग का पत्र संख्या 400 दिनांक 31-04-2014 का ब्यौरा  
 लेना चाहिए।

एक आर0टी0आई0 आवेदन के जवाब में श्री शक्ति नाम उपा अवरानि  
 एट0लोक सूचना पदाधिकारी मंत्रि मंडल सचिवालय विभाग, बिहार सरकार  
 आपने पत्र संख्या 400 दिनांक 28-4-14 के माध्यम से सूचित किया है कि  
 केस/फाइल आपने विभागीय क्रमांक 400 दिनांक 28-4-14 द्वारा विधि मंत्रालय  
 भारत सरकार को भेजा गया है। मैंने आवेदन पत्र वापस कर दिया है।  
 सुविधा हेतु समाज अनुसूचित जाति को साक्षात् किया गया है।  
 आर0 पत्र संख्या 400 दिनांक 31-4-2014 के प्राप्ति के पश्चात् सुनाई  
 जापके विभाग द्वारा लिखे गए जवाब, तैयार है एवं उसका प्रकाश  
 सूचना विभाग को भेजा जा रहा है।

- 1 मैं एतद् द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मेरी पूरा जानकारी मैं मॉगी गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को धारा 8, एवं  
 9 के अंतर्गत मु त नहीं है। यह आपके विभाग/कार्यालय को संवेचित है।
- 5 (1) मैंने  रूप में (एचबी)  रूप में  
 तिथि  को रसीद सं0  
 स विभाग कार्यालय में उपस्थित किया है।
- (2) मैं डिमाण्ड ड्राफ्ट/मुद्रातलदेश सं0 ..... दिनांक ..... जो .....  
 पदाधिकारी के माध्यम से ..... बैंक द्वारा जारी की गयी है, फीस के रूप में
- (3) मैंने डिमाण्ड ड्राफ्ट/मुद्रातलदेश सं0 ..... क्रमांक का न  
 जुडिशियल स्टाम्प/सांख्यिकीय टिकट सं0 ..... में लगा दिया (सं0 ..... रुंर दिया) है, जिसका  
 क्रमांक 897479 दिनांक 2-4-14 है।
- (4) मैं गरीबी रखा से नीचे वर्ग में परिवार का हूँ। मेरे कार्ड/कॉजित सर्टिफिकेट का छाया प्रति संलग्न है।

अनुलग्नक - 1  
 आवेदन का क्रमांक - 372/14  
 स्थान: बरौनी  
 तिथि 13-05-14  
 आवेदक का हस्ताक्षर  
 ई-मेल पता, अगर कोई हो:  
 ई-फोन संख्या (कार्यालय):  
 आवेदक का पत्राचार का पूरा पता: ग्राम: शोकहारा-02,  
 राजेन्द्र पथ बरौनी, पो0-बरौनी-851112  
 जिला- बेगूसराय (बिहार)  
 आवास:  
 गिरी प्रसाद यादव  
 13-5-14

नोट: गरीबी रखा से नीचे वाले परिवार का कोई भी शुल्क देना नहीं है।  
 जो लागू नहीं है उसे कटें दें।